निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रार्थना पत्र संख्या
37/2021

फैसल दिनांक
25.01.2022

अनवान

आशाराम पिता गेहरीलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी नन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---प्रार्थी

।। बनाम ।।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित – श्री उदय लाल गाडरी वकील प्रार्थी

प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश प्रस्तुत कियाः–

प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि वाके मौजा नन्नाणा तहसील भदेसर की आराजीयात जिसके नये खाता संख्या 146 के आरजी नम्बर 254 मीन रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/8 हक हिस्सा निहित है जिसके पुराने आराजी नम्बर 179,180,181 थे। साक्ष्य में नकल जमाबंदी एवं मिलान क्षैत्रफल पेश किया है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य की है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार डालचंद पिता भंवरदास बैरागी निवासी नन्नाणा तहसील भदेसर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.02.2008 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामांतरकरण संख्या 1126 दिनांक 06.05.2008 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ, तभी से उक्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी स्वामित्व में चली आ रही है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात पुराने राजस्व रेकार्ड में सही रूप से तरमीम थे, परंतु नवीन सेटलमेंट में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

र्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात को पूर्व खातेदार डालचंद पिता भंवरदास बेरागी के देहांत के बाद उनके विधिक वारिसान कसनी पुत्री डालचंद 1/24 हक, रेखा पुत्री डालचंद 1/24 हक, सुगना पत्नि डालचंद 1/24 हक वैरासत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया जबकि उक्त 1/8 हक प्रार्थी आशाराम के नाम से दर्ज रेकार्ड होना था।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात पुराने राजस्व रेकार्ड में सही रूप से तरमीम थो परंतु नवीन सेट्लमेंट में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात को पूर्व खातेदार डालचंद पिता भंवरदास बेरागी के देहांत के पश्चात उनके वारिसान के नाम पर राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम कर दिया हुआ है। जबकि उक्त सम्पूर्ण 1/8 हक प्रार्थी आशाराम के नाम पर दर्ज रेकार्ड होना था जो राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से हुआ इसलिये उक्त नवीन राजस्व रेकार्ड व राजस्व जमाबंदी में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड व नवीन नक्शा ट्रेस तथा जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर डालचंद पिता भंवरदास बैरागी के वारिसान का नाम विलोपित किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की नवीन आराजी 254मी में प्रार्थी के 1/8 हक हिस्से का मौके पर काबिज अनुसार एवं पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार, नवीन राजस्व रेकार्ड व नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कर नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में तरमीम किये जाने की कृपा करावे। तथा कसनी पुत्री डालचंद, रेखा पुत्री डालचंद एवं सुगना पत्नि डालचंद का नाम विलोपित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार भदेसर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2022/54 दिनांक 11.001.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार ग्राम नन्नाणा की वर्तमान आराजी नम्बर 254मी रकबा 0.80 हैक्टे0 के मुताबे रेकार्ड एवं रजिस्ट्री, नामांतरकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट है

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

क विकेता डालचंद पिता भंवरदास बैरागी निवासी नन्नाणा द्वारा ग्राम नन्नाणा आ.नं. 180 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, आ.नं. 183 रकबा 4बीघा 2 बिस्वा आ.नं. 185 रकबा 3 बीघा, आ.नं. 186 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, आ.नं. 187 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघ 14 बिस्वा में से 1/8वां हिस्सा की रजिस्ट्री दिनांक 14.02.2008 को कराई जिसका नामांतरकरण सं. 1126 दिनांक 06.05.2008 को केता का नाम दर्ज हुआ परंतु उक्त पुराने नम्बर के बजाय नये सेटलमेंट के आधार वर्ष जमाबंदी 2068 खाता संख्या 107 पर उक्त नामांतरकरण सं. 1126 का पुनः नये आराजीयात पर अमल करते वक्त आ.नं. 254 रकबा 1.03 हैक्टेयर जो की पुराने आ.नं. 179, 180, 181 से बनाया गया है। जिस में से उक्त केता आशाराम के नाम नवीन आ.नं. 256,258,259,260 के साथ-साथ आ.नं. 254 में से 0.09 हैक्टेयर में से 1/8वां हिस्सा केता की हैसियत से दर्ज केया जबकि आ.नं. 254 के 0.89 हैक्टेयर में से 1/8वां हिस्सा केता आशाराम के नाम अंकन आधार वर्ष 2068 में होना चाहिए था। उक्त लेपिकिय भूल के पश्चात पुनः रोटेशन बनते गए जिससे आ.नं. 254 के बट्टा नम्बर 1368/254, 1369/254 व 254 मी बनाये जाकर आ.नं. 254मीन का खाता पृथक होकर विकेता डालचंद की विरासत होकर वारिसान के नाम वर्तमान में दर्ज है।

अतः रजिस्ट्री के मुताबिक केता आशाराम सहखातेदार होकर वर्तमान आ.नं. 254मीन रकबा 0.80 हैक्टेयर में से विकेता स्व. डालचंद बैरागी का सम्पूर्ण 1/8वां हिस्सा उनके वारिसान के बजाय केता आशाराम के नाम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी भूप्रबंध से पहले से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। भूप्रबंध के दौरान प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात को बिना किसी सक्षम आदेश के पुर्व खातेदार स्व. डालचंद के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया है। जिससे स्व. डालचंद के वारिसान कसनी, रेखा एवं सुगना का

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

म विलोपित किया जाकर पुनः प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जाना एवं ीन नक्शा ट्रेस में सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत मीश्नर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि मौजा नन्नाणा प0ह0 नन्नाणा तहसील भदेसर की आराजी ि0 254मी रकबा 0.80 हैक्टेयर में से 1/8वां हिस्सा सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज थी किंतु सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी के खरीदशुदा आराजी को पुनः पूर्व खातेदार स्व. डालचंद के विधिक वारिसान कसनी, रेखा एवं सुगना के नाम दर्ज कर दिया है। अतः सेटलमेंट के पूर्व आराजी नम्बर 254 मीन में 1/8वां हक हिस्सा जो प्रार्थी के खातेदारी में था को पुनः प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा पूर्व खातेदार स्व. डालचंद पिता भंवरदास बैरागी के वारिसान कसनी, रेखा एवं सुगना का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावे एवं प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner